न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–210 / 2017

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम राहुल कुमार एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
24/1/2020	आदेश	

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1810 / गो0 (नगर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, दरभंगा) दिनांक–13.11.2017 से प्राप्त बहादुरपुर थाना कांड सं0–339 / 17 दिनांक 16.08.2017 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR33R-5160 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला के पश्चात् भी विपक्षी वाहन स्वामी इस वाद की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए और न ही काई कारण पृच्छा दाखिल किये। इसलिए एकपक्षीय सुनवाई की गयी।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि गश्ती के क्रम में खराजपुर से लौटने के दौरान बरहेता मोड़ के पास पहुँचने पर देखा गया कि एक मोटरसाईकिल जिस पर दो व्यक्ति बैठे हुए थे, अचानक पुलिस जीप को देखकर अपनी मोटरसाईकिल जी0एम0 कोचिंग के सामने मुख्य मार्ग पर रोक दी। संदेह होने पर सशस्त्र बल के साथ उसकी ओर बढ़ा तो आते देख उक्त मोटरसाईकिल पटक कर खराजपुर की ओर भागने लगा, जिसका पीछा किया गया, परन्तु वे भागने में सफल रहे। तत्पश्चात् मोटरसाईकिल के पास पहुँचकर देखा कि उजले रंग की प्लास्टिक की बोरी में कोई सामान साईकिल के ट्युब से मोटरसाईकिल जिसका पंजीयन सं0– BR33R-5160 के पीछे सीट के पिछले भाग में बंधा हुआ है। जिसे दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष विधिवत् तलाशी लिया गया तो, बोरी में रॉयल स्टैग लिखा विदेशी शराब का 750*ml* का कुल 05 (पाँच) बोतल सील एवं भरा हुआ तथा 375*ml* का 01 (एक) बोतल रॉयल स्टैग लिखा तथा सीलबंद एवं भरा हुआ कुल–4.125 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ। साथ ही मोटरसाईकिल के गिरने के कारण 3–4 750*ml* का बोतल फूटा हुआ पाया गया। इस प्रकार बरामद शराब एवं मोटरसाईकिल को विधिवत् जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में पूर्ण शराब बन्दी है। उक्त जब्त वाहन से अवैध शराब का चौर्य व्यापार की नीयत से परिवहन किया जा रहा था। अतः जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त जब्त वाहन से अवैध शराब का चौर्य व्यापार करने के नीयत से परिवहन किया जा रहा था। पुलिस बल द्वारा स्वतंत्र साक्षी के समक्ष बरामद अवैध शराब एवं मोटरसाईकिल को विधिवत् जब्त किया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य

निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त मोटरसाईकिल का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी विपक्षी इस वाद की कार्यवाही में न ही उपस्थित हुए और न ही कारण पृच्छा दाखिल किये। जिससे स्पष्ट है कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में बहादुरपुर थाना कांड सं0–339/17 दिनांक 16.08.2017 में जब्त मोटरसाईकिल रजि0 नं0–BR33R-5160 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा